मानव अधिकारों का वर्गीकरण

मानवाधिकारों का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक होने के कारण इसे वर्गो में बांट पाना आसान नहीं है। फिर भी अनेक विद्वानों ने मानव अधिकारों का वर्गीकरण प्रस्तत किया है। उदारवादी लेखक मानव अधिकारों को नैतिक अधिकार एवं कानूनी अधिकार के बीच विभाजित करते हैं जबकि कुछ इन्हें ''प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी एवं तृतीय पीढ़ी'' के अधिकारों में वर्गीकृत करते हैं। इसके अलावा मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के मध्य भी बांटा जाता है।

Scanned by CamScanner

इन विभिन्न आधारों पर मानवाधिकार का वर्गीकरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं।

नैतिक अधिकार

जिन अधिकारों का सम्बन्ध मनुष्य के नैतिक आचरण से होता है वे अधिकार, नैतिक अधिकार कहलाते है। ग्रीन के अनुसार आदर्श नैतिक अधिकार वे अधिकार है, जो नैतिक दृष्टि से व्यक्ति के लिए इसलिए आवश्यक है कि वह मनुष्य है। ये अधिकार मनुष्य के नैतिक प्रकृति की मांग है जिनके द्वारा वह अपनी आत्मोन्नति करता है। नैतिक अधिकारों को राज्य की मान्यता प्राप्त नही होती है यह समाज की नैतिक भावना पर आधारित होते है। इन्हें धर्मशास्त्रों, लोकमत या जनता की आत्मिक चेतना के दबाव में स्वीकार किया जाता है। इन अधिकारों के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान नहीं होता है।

कानूनी अधिकार

कानूनी अधिकारों से तात्पर्य एसे अधिकारों से हैं जिन्हे राज्य मान्यता प्रदान करता है। इन अधिकारों के पीछे राज्य की शक्ति होती है तथा इनका संरक्षण करना राज्य का दायित्व होता है। यदि किसी व्यक्ति के इन अधिकारों का हनन् होता है तो राज्य एसे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है तथा एसा व्यक्ति जिसने किसी व्यक्ति के इन अधिकारों का हनन किया है उसे दण्डित भी करता है। लीकॉक के अनुसार "कानूनी अधिकार वे विशेषाधिकार है जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरूद्ध प्राप्त होते है तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किये जाते है और रक्षित होते हैं।"

कानूनी अधिकार आनुबंधिक प्रकृति के होते है सामाजिक अनुबंध जिसकी पूर्ति के विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं होती के अतिरिक्त, सभी अनुबंध हस्ताक्षर करने वालों पर कुछ दायित्व डालते है और उन्हें अधिकार देते है। इनका स्वरूप कानूनी होता है। राज्य के कानून सकारात्मक व नकारात्मक अधिकारों का सृजन करते हैं।

कानूनी अधिकारों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है।

Scanned by CamScanner

नागरिक अधिकार

वे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा सभ्य और उन्नतिशील जीवन व्यवस्था के लिए आवश्यक होते हैं नागरिक अधिकार कहलाते है। यह अधिकार सभी नागरिकों, व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं राज्य इन अधिकारों की रक्षा की पूरी व्यवस्था करता है। इन अधिकारों के बिना मनुष्य का गरिमा पूर्वक जीवन यापन संभव नही होता। इनमें निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित है–

जीवन का अधिकार

प्रत्येक मनुष्य को जीवन का अधिकार है। यह अधिकार मनुष्य के अधिकारों का सत्व है। यह अधिकार मूल अधिकार है क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकार असंभव है। निजी जीवन की सुरक्षा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशीला है। राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे यह अधिकार स्वयं व्यक्ति को भी प्राप्त है। इस अधिकार के अन्तर्गत शरीर की रक्षा, पर–व्यक्ति द्वारा किये गये आक्रमणों से रक्षा तथा राज्य द्वारा अवैधपूर्ण तरीके से निरोधित किया जाना इत्यादि अधिकार सम्मिलित है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का जीवन समाप्त नहीं कर सकता अर्थात् आत्महत्या नहीं कर सकता। आत्महत्या के अपराध में विफल होने पर एसे व्यक्ति को राज्य के द्वारा दण्डित किया जाता है।

समानता का अधिकार

समानता का अधिकार व्यक्ति के जीवन का आधारभूत अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य होने के नाते सम्माननीय और महत्वपूर्ण है। मनुष्य में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेद नहीं किये जाना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का बराबर सम्मान किया जाना चाहिए, प्रगति करने के समान अवसर दिये जाये कानून सभी के लिए बराबर हो।

समानता के अधिकार के मुख्यतः तीन अंग है। इनमें राजनितिक समानता का अधिकार, आर्थिक समानता का अधिकार, समाजिक समानता का अधिकार सम्मिलित है। राजनीतिक समानता अधिकार से आशय शासन सम्बन्धि कार्य में प्रत्येक नागरिक

Scanned by CamScanner

को योग्यता अनुसार अवसरों की उपलब्धता कराने से है। प्रत्येक व्यक्ति का राजनीतिक जीवन में दुसरों के समान भाग लेने का अधिकार है। इस अधिकार के माध्यम से व्यक्ति राज्य के विषय में सक्रिय भूमिका अदा करता है। मतदान करना, चुनाव लड़ना किसी राजनैतिक दल से सम्बद्धता अथवा अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक रखना, राजनीतिक अधिकार के अंग है।

आर्थिक समानता से अभिप्राय समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से है। यह अधिकार मनुष्य के नागरिक जीवन के लिए अत्यावश्यक है। इस अधिकार का उपभोग करके मुनष्य अपने व अपने परिवार के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास सम्मिलित है, व्यवस्था करता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार कार्य उपलब्ध होना चाहिए एवं उसे अपनी आजिविका चलाने के लिए समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक समानता का अधिकार भी महत्वपूर्ण है इससे तात्पर्य है कि समाज में प्रत्येक मनुष्य एक समाज है, किसी एक वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। इनमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक समानता का यह अधिकार समाज में भाईचारे की भावना को विकसित करता है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को इस आधार पर दुसरों के समान माना जाता है जिससे वह सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके।

स्वतंत्रता का अधिकार

व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा समाज के विकास हेतु स्वतंत्रता का अधिकार अत्यन्त आवश्यक है। स्वतंत्रता से तात्पर्य अपने व्यक्तित्व के विकास के निमित्त अवसरों की प्राप्ति है। ''लॉस्की के अनुसार इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार बिना किसी बाह्य बन्धन के अपने जीवन के विकास का ढंग चुन सके।'' नागरिकों को अपने भौतिक व नैतिक विकास के लिए पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। अपनी शक्तियों तथा क्षमता के अनुरूप मनुष्य को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अधिकार एवं अवसर प्राप्त होने चाहिए।

Scanned by CamScanner

स्वतंत्रता के अधिकार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, संगठन अथवा संघ बनाने का अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अन्तःकरण की या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है।

व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है इसका तात्पर्य शारीरिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है किन्तु यह अधिकार असीमित नही है इस पर राज्य के हित में प्रतिबंध लगाए जा सकते है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है। कि वह अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त कर सके। अपनी इच्छा अनुसार विचार रखने भाषण, लेख आदि के माध्यम से अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन अधिकारों पर राज्य अपने पक्ष में प्रतिबन्ध लगा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को भ्रमण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नागरिकों के विकास तथा व्यापार की वृद्धि के लिए यह अधिकार महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम स्तर तक के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिकार के साथ ही प्रत्येक नागरिक को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने, प्रचार करने, पूजा–पाठ करने, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।

सम्पत्ति का अधिकार

सम्पत्ति के अधिकार से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अपने द्वारा कमाये गये धन को अपनी इच्छानुसार व्यय करने से है। वह चाहे तो एसे धन को संचित करके ही रख सकता है। ब्लॉक का विचार था कि परिश्रम से कमायें हुए धन पर प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। यदि राज्य द्वारा व्यक्ति की सम्पत्ति को लिया जाता है तो उसे सम्पत्ति के स्वामी को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। सम्पत्ति का अधिकार सामान्य कल्याण की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। स्वामित्व की भावना मानव के मूल स्वभाव में इसके बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नही कर सकता है।

Scanned by CamScanner

परिवार का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। परिवार में रहना, परिवार को बनाये रखना, विवाह करना, बच्चों का लालन–पालन करना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। राज्य का कर्तव्य है कि वह मनुष्य को पारिवारिक जीवन का अधिकार प्रदान करे। डॉ. ए. डी. आर्शिवादम के अनुसार "परिवार व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए जरूरी है। परिवार हमारे समाज का आधार है। पारिवारिक जीवन का संगठन हर देश में भिन्न–भिन्न है पर कुछ बातें सब कहीं एक सी है। आजकल के राज्यों में साधारणतः एक–पत्नीत्व पर आधारित सम्बन्धों को अधिक माना जाता है।"

रोजगार का अधिकार

आजिविका का अधिकार अर्थात रोजगार का अधिकार मनुष्य के जीवन के अधिकार से सम्बद्ध है। मनुष्य को अपने परिवार के पालन–पोषण एवं शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए व्यक्ति को अपने इच्छानुसार रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। काम के बदले व्यक्ति को उचित मजदूरी मिलना चाहिए। इस संदर्भ में लॉस्की का कथन है कि "अपना सर्वोत्तम रूप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को काम करना चाहिए और काम के अभाव में उस समय तक के लिए प्रबन्ध किया जाना चाहिए, जब तक किसी व्यक्तिगत व्यवस्था में उसे पुनः काम करने का अवसर प्राप्त न हो, एक व्यक्ति को केवल काम का अधिकार नहीं, अपितु उसे कांम के बदले उपयुक्त मजदूरी का अधिकार होना चाहिए।"

राजनीतिक अधिकार

यह अधिकार केवल देश के निवासीयों को ही प्राप्त होते है। इन अधिकारों के द्वारा किसी देश के नागरिक शासन सम्बन्धी कार्यो में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता करते है। यह अधिकार देश के संविधान अथवा राज्य के कानून द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते है। विदेशी नागरिकों दिवालिया घोषित नागरिकों अस्वस्थ मस्तिष्क वाले नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नही होते है।

Scanned by CamScanner

इन राजनैतिक अधिकारों में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित है–

मतदान का अधिकार

मतदान का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की देन है अनेक देशों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली प्रचलित है। नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव करते है। नागरिकों को चुनाव लड़ने का भी अधिकार प्राप्त होता है। इस अधिकार का प्रयोग कर नागरिक राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर की संस्थाओं में प्रतिनिधियों का मतदान द्वारा चुनाव करते है। मतदान को प्रजातंत्र की आधारशीला माना जाता है। अधिकांश देशों में वयस्क मताधिकार प्रणाली प्रचलित है।

निर्वाचित होने का अधिकार

प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार है और इसके साथ ही वह स्वयं भी चुनाव लड़ सकता है। लोकतंत्र में जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। पंचायतें, नगरपालिकाऐं, निगम, विधान सभाएं एंव संसद आदि में एक सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है।

लोक पद को प्राप्त करने का अधिकार

आधुनिक राज्य में किसी सरकारी पद पर योग्यता अनुसार नियुक्ति का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होता है। किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर विमुख नही किया जा सकता है। सभी नागरिकों को लोक पदों पर नियुक्त होने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए।

प्रार्थना पत्र देने का अधिकार

लेखक :डॉ जितेंद्र शर्मा

इस अधिकार के द्वारा नागरिक अपनी समस्याओं को शासन के समक्ष पहुचाते है। नागरिकों को यदि किसी प्रकार की असुविधा या कष्ट हो तो वे प्रार्थना पत्र द्वारा राज्य का ध्यान इस और आकृष्ट कर सकते है। सरकार के अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे इन प्रार्थना पत्रों को ध्यानपूर्वक देखें और इनमें प्राप्त शिकायतों का निराकरण करे।

Scanned by CamScanner